रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092023-248930
CG-DL-W-23092023-248930

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2023, शनिवार/भाद्र 12—भाद्र 18, 1945
No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2023, SATURDAY/BHADRA 12—BHADRA 18, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

का.आ. 1349.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार शर्मा के स्थान पर श्री अजय कुमार (जन्म तिथि: 20.5.1969), कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

	(1)	(2)	(3)
1	Bank of India	Shri Subrata Das	Shri Ashok Narain (DOB: 28.10.1962)
2	Bank of Maharashtra	Shri M K Verma	Shri Sanjeev Prakash (DOB: 8.11.1972)
3	Central Bank of India	Shri P J Thomas	Smt Charulata Kar (DOB:15.1.1967)
4	Indian Bank	Dr Aditya Gaiha	Smt K. Nikhila (DOB: 28.8.1969)
5	Indian Overseas Bank	Shri Vivek Agrawal	Smt Sonali Sengupta (DOB: 4.9.1968)
6	Punjab National Bank	Shri Anil Kumar Misra	Smt Uma Sankar (DOB: 29.8.1966)
7	Union Bank of India	Shri Arun Kumar Singh	Shri Prakash Baliarsingh (DOB: 25.6.1963)

[eF. No. 6/3/2011-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2023

का.आ. 1351.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 29 अप्रैल, 2013 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 953 के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा लोप किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि लगातार दो वर्ष के लिए टियर-3 शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु अपेक्षित न्यूनतम जमाराशि के रख-रखाव के अध्यधीन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करने वाले लाइसेंस प्राप्त टियर-3 तथा टियर-4 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ पात्र वित्तीय संस्थान होंगे।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/16/2023-एसी]

चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव

New Delhi, the 4th September, 2023

S.O. 1351.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934(2 of 1934) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 953 dated the 29th April, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that, licensed Tier 3 and Tier 4 Primary (Urban) Co-operative Banks, fulfilling the criteria stipulated for Financially Sound and Well Managed Urban Co-operative Banks by the Reserve Bank of India, subject to maintenance of minimum deposits required for categorisation as a Tier 3 Urban Co-operative Bank for two consecutive years, would be the eligible financial institutions for the purpose of the said sub-clause.

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/16/2023-AC]

CHANDRAGUPTA SHAURYA, Under Secy.